

48/अप्र/118
11/1/18



फार्म

* प्रथम नियुक्ति के समय अचल सम्पत्ति का विवरण, वर्ष 2018

1. अधिकारी/कर्मचारी का (पूरा) नाम तथा उस सेवा का नाम, जिसमें वह हो श्रीमती गीता ठाकुर 2. वर्तमान धारित पद सहायक डडी
3. वर्तमान वेतन 52500 + 2625 अगली वेतनवृद्धि की तारीख 1/7/18

उस जिले, उप संभाग, तालुका तथा ग्राम का नाम, जिसमें संपत्ति हो	संपत्ति का नाम तथा ब्यौरे		** वर्तमान मूल्य	यदि स्वयं के नाम पर न हो तो बतलाइये कि वह किसके नाम पर धारित है और उसका शासकीय कर्मचारी से क्या संबंध है	उसे किस प्रकार अर्जित किया गया *** खरीद, पट्टा, बंधक, विरासत, भेंट या अन्य किसी प्रकार से तथा अर्जन की तारीख और जिससे अर्जित की गई हो उसका नाम तथा ब्यौरा	संपत्ति से वार्षिक आय	अभियुक्ति
	गृह तथा अन्य भवन	भूमि					
(1) श्रीपाल	(2) करैरा काकोम ई-3/125 ऊरेश काकोम	(3) 4000 कैयाफर	(4) 50 माल	(5) पैतृक सम्पत्ति माताजी, वडी बहन, कम 100 डाटरी वरु	(6) पैतृक सम्पत्ति	(7) रु. 4000 34500 रु.	(8)
श्रीपाल	"पारम सिटी" B-2/104 पारम सिटी- कारैरा काकोम	1100 कैयाफर	20 माल	श्रीमती गीता ठाकुर एवं कुमारी संगीता चौधरी	पूज्य कुमाल ठाकुर "पुत्र"	रु. 1000 34500 रु.	

- * जहां लागू न हो काट दीजिए।
** ऐसे मामले में जहां मूल्य का सही-सही निर्धारण करना संभव न हो, वहां वर्तमान स्थिति के संदर्भ में लगभग मूल्य बतलाया जाए।
*** इसमें अल्पकालीन पट्टे भी सम्मिलित हैं।

टिप्पणी - मध्यप्रदेश शासकीय सेवक (आचरण) नियम, 1959 के नियम 18(3) के अधीन प्रथम श्रेणी, द्वितीय श्रेणी तथा तृतीय श्रेणी सेवा के प्रत्येक सदस्य से यह अपेक्षित है कि वह सेवा में पहली नियुक्ति के समय और उसके बाद प्रत्येक बारह महीने की अवधि के पश्चात यह घोषणा पत्र भर कर प्रस्तुत करें और उसमें वह उनके स्वामित्व की तथा उसके द्वारा अर्जित अथवा उसे विरासत में मिली या उसके अपने नाम पर या उसके परिवार के किसी सदस्य के नाम पर या किसी अन्य व्यक्ति के नाम पर पट्टे या बंधक पर उसके द्वारा धारित समस्त अचल संपत्ति के ब्यौरे दें।

हस्ताक्षर A. Thakur 11/1/18
नाम गीता ठाकुर
पद सहायक डडी